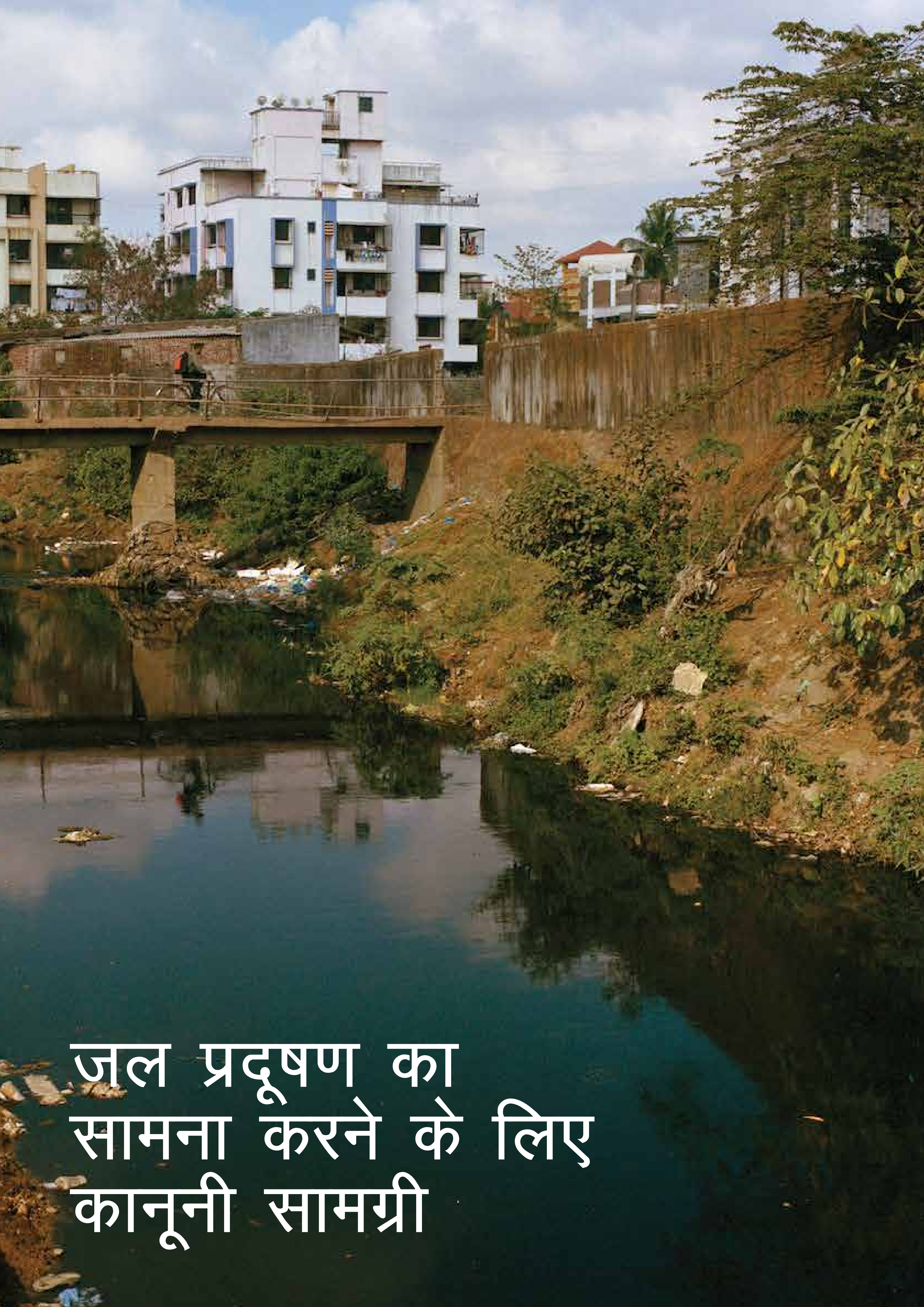

जल प्रदूषण का सामना करने के लिए कानूनी सामग्री

अस्वीकरण

इस प्रकाशन पर कोई कॉपीराइट नहीं है।

आप इसकी सामग्री का अनुवाद कर, लोगों के साथ बांट या वितरण कर सकते हैं। हमारा अनुरोध है कि आप यदि इसे पुनः प्रकाशित करते हैं, या अनुवाद करते हैं, तो इस प्रकाशन का आभार देते हुए, उसकी एक प्रति सी.पी.आर.–नमति पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रम को ज़रूर भेजें।

हिंदी अनुवाद : निधि अग्रवाल

रूपरेखा : रे जाकारिया

मुद्रण : गैलेक्सी

इस प्रकाशन के लिए आर्थिक सहयोग 'दुलिप मथाई नेचर कॉन्ज़र्वेशन ट्रस्ट' से प्राप्त हुआ।

01 जल प्रदूषण क्या होता है?

01

जल प्रदूषण क्या होता है?

जब जल दूषित हो जाता है या जल के गुणों में बदलाव आ जाता है या जल में किसी भी प्रकार का मल, व्यावसायिक गंदा पानी या किसी अन्य द्रव्य, गैस या ठोस वस्तु मिल जाती है, जिससे कि संभवतः बाधा पैदा होती हो, या जल नुक्सानदायक या हानिकारक बन जाए :

- आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए

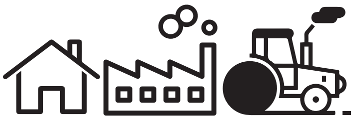

- घरेलू, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक और अन्य वैध उपयोगों के लिए

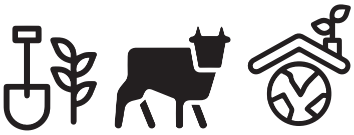

- जानवरों, पौधों और अन्य जलीय जंतुओं के जीवन और स्वास्थ्य के लिए,

तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं।[1]

अक्सर किसे जल प्रदूषण के रूप में रिपोर्ट किया जाता है?

औद्योगिक
- रसायन : आरसन, लेड, मरकरी नाइट्रेट्स और सल्फर
- तेल और पेट्रोकैमिकल्स

घरेलू
- मल
- अपशिष्ट

कृषि
- रसायनिक उर्वरक
- कीटनाशक

जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं?

एकल पहचान योग्य स्रोत
बिंदु स्रोत प्रदूषण।

स्रोतों के प्रसार से होने वाला प्रदूषण
गैर–बिंदु स्रोत प्रदूषण।

(1) जल (प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 या जल अधिनियम के अनुसार।

02 उपलब्ध कानून और संस्थान

02 उपलब्ध कानून और संस्थान

कौन कौन से संस्थान जल प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं?

कानून	• जल अधिनियम, 1974	• पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986
केन्द्रीय	• केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC), नई दिल्ली
राज्य	• कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बंगलूरु	• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC), क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेत्रीय	• क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

किस प्रकार की अनुमतियां लेनी होती हैं?

स्थापित करने हेतु सहमति

कोई भी ऐसा उद्योग, संचालन या प्रक्रिया जिस से मल या दूषित जल निकासी की संभावना हो, उन्हें जल प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, इस से पहले कि वे कोई भी बहाव या निकासी की जगह स्थापित करें।

चलाने की सहमति

उत्पादन शुरु करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व अनुमति लेनी होगी। चलाने की सहमति उद्योग के प्रकार के आधार पर, जिस से मल या दूषित जल निकासी की संभावना हो, एक विशिष्ट समयावधि के लिए ही दी जाती है।

पर्यावरणीय मंजूरी

कुछ विशिष्ट परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए (जो कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 में सूचिबद्ध की गई हैं), यह अनिवार्य है कि वे पूर्व **पर्यावरणीय मंजूरी (ई.सी.)** प्राप्त करें। ई.सी में अक्सर कुछ शर्तें दी गई होती हैं जिनकी अनुपालना करना ज़रूरी है। इसमें पानी की ज़रूरतों, बहाव की जगह, भूजल की निगरानी आदि शर्तें शामिल हो सकती हैं।

और क्या प्रावधान उपलब्ध हैं?

जल अधिनियम की धारा 24 के अनुसार,

किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है कि वह जानबूझ कर या अनुमति दे कर किसी ज़हरीली, हानिकारक या प्रदूषित सामग्री, जो कि राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर इस श्रेणी में आते हों, को

- किसी नदी या कुंए या मल के नाले या ज़मीन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) में मिलने दे।
- किसी नदी के पानी के बहाव में ऐसा अवरोध पैदा करे कि उसके कारण या अन्य कारणों से या संभवतः उसमें प्रदूषण बढ़ जाए।

आपातकालीन उपाय

जल अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, राज्य बोर्ड को अनुमति है कि वह किसी दुर्घटना या किसी अनपेक्षित गतिविधि या घटना हो जाने पर आपातकालीन उपाय कर सकता है, जहां उसे लगे कि तुरंत कार्यवाही की ज़रूरत है। (इन उपायों को खंड 2 में दिया गया है)

भारतीय दंड संहिता का उपयोग करना

धारा 268, जिसमें सार्वजनकि उपद्रव को परिभाषित किया गया है, उसमें जल प्रदूषण के कारण सार्वजनिक उपद्रव की स्थितियों में किया गया है, । सार्वजनिक उपद्रव तब होता है जब सार्वजनिक तौर पर या आम जनता को किसी गतिविधि या चूक के कारण किसी प्रकार की सार्वजनिक चोट, खतरा या सताया जाए, जो कि आसपास के इलाके में रहते हैं, या लोगों के सार्वजनिक अधिकारों को उपयोग करने के मौकों में बाधा आए। इसे धारा 19, जिसमें न्यायाधीष को परिभाषित किया गया हा, के साथ उपयोग किया जा सकता है

कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना ऐसी जगह होती है जहां उत्पादन का काम होता है, जिसमें ऊर्जा के साथ 10 या बिना ऊर्जा के 20 मज़दूर काम करते हैं।

- जिस व्यक्ति के पास कारखाने का नियंत्रण है, उसे काम शुरु करने से पहले प्रमुख निरीक्षक को एक नोटिस देना होगा जिसमें कारखाने का विस्तृत विवरण हो, जैसे कि नाम, पता, उत्पादन प्रक्रिया, मज़दूरों की संख्या आदि।
- नोटिस देने के बाद, प्रमुख निरीक्षक जांच करेगा और फिर लाइसेंस दिया जाएगा।
- खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखानों के मामलों में, लाइसेंस स्थलीय आंकलन कमिटि द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अन्य लोगों के साथ साथ CPCB और SPCB के सदस्य शामिल रहते हैं।
- खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखानों के लिए अनिवार्य है कि वे सभी उपयोग होने वाली प्रक्रियाओं, मज़दूरों की सुरक्षा और किसी दुर्घटना की स्थिति के लिए आपातकालीन योजनाओं के बारे में खुलासा करें।
- प्रमुख निरीक्षक और उसके द्वारा चयनीत लोगों को यह अधिकार है कि वे किसी भी उपयुक्त समय पर कारखाने के अंदर जाकर सैम्पल इकट्ठे कर सकते हैं।

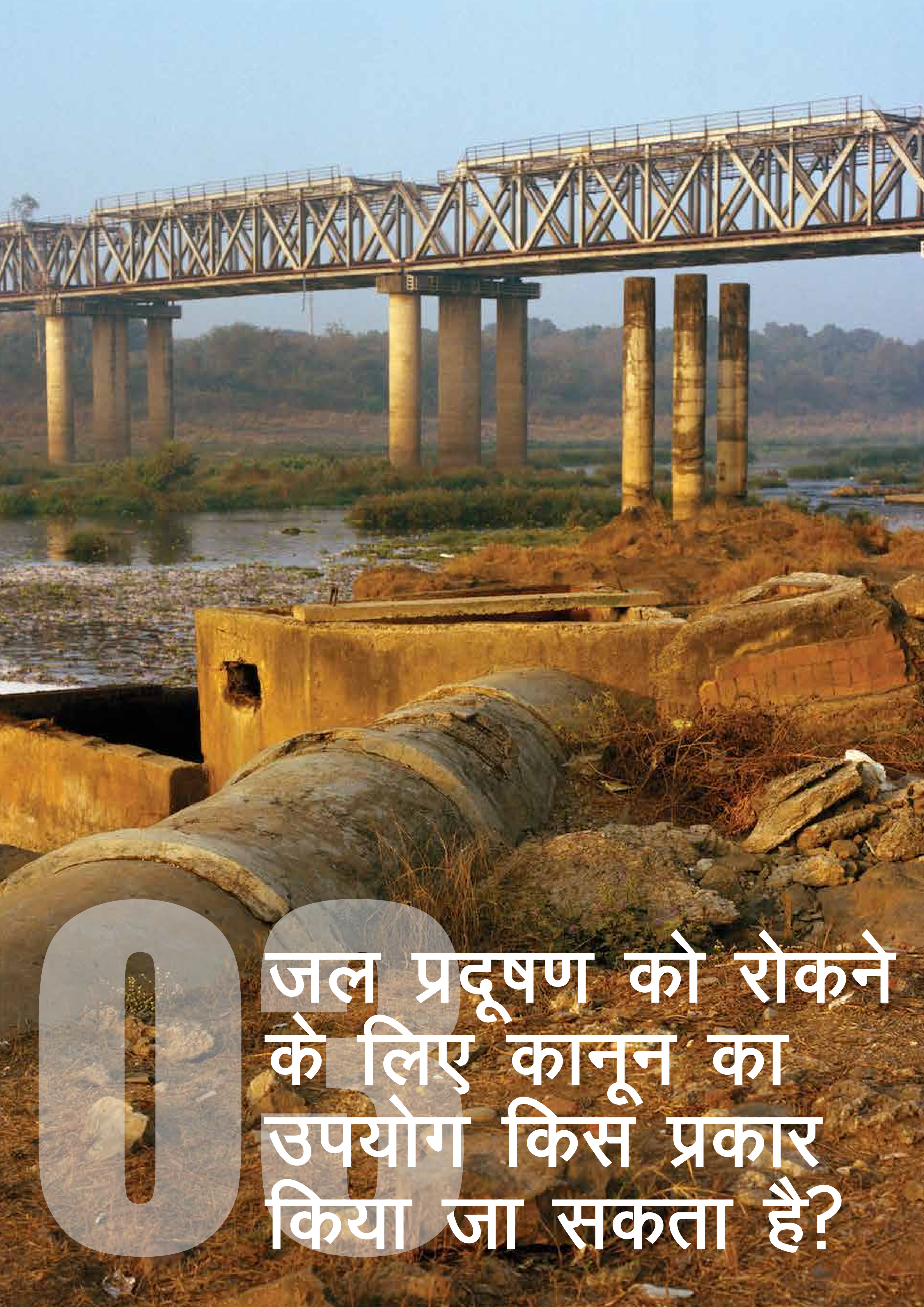

03 जल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है?

03 जल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है?

पिछले खंड में बताया गया कि जल प्रदूषण का सामना करने के लिए किन-किन कानूनों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन केवल कानून की जानकारी होना ही काफ़ी नहीं होता। जब तक कि कानून का प्रभावकारी तरीके से उपयोग न किया जाए, तब तक समाधान प्राप्त करना मुश्किल होता है। इस खंड में उन तरीकों की सूचि दी गई है, जिनसे कानून का उपयोग किया जा सकता है।

1 सबूत इकट्ठे करना

क) दस्तावेज़

दस्तावेज़ का प्रकार	कहां उपलब्ध है	कहां उपयोगी है
CTO CTE	SPCB	• बहाव की जगह की पहचान करना • स्वीकृति की समयावधि • बहाए जाने वाले गंदे पानी की प्रकार और रचना
पर्यावरणीय स्वीकृति (उद्योग के आकार और प्रकार के अनुरूप)	ए श्रेणी की परियोजना : MoEFCC नई दिल्ली बी श्रेणी की परियोजना : राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) बी 2 श्रेणी की परियोजना (सूक्ष्म खनिज) : ज़िला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (DEIAA) SPCBs में भी उपलब्ध	• पानी के बहाव संबंधी शर्तें होंगी, यदि परियोजना/ गतिविधि के कारण जल प्रदूषण होने की संभावना है। • इन्हें पढ़ना और देखना कि इनकी अनुपालना हो रही है या नहीं और EC की शर्तें इसमें उपयोगी हैं या नहीं।
EC संबंधी जांच एवं निगरानी रिपोर्टें	MoEFCC क्षेत्रीय कार्यालय	• यह जानना उपयोगी होगा कि पानी के बहाव संबंधी पहले दी गई शर्तों की अनुपालना की गई थी या नहीं।
पिछले कारण बताओ, बंद करने, निर्देश देने वाले नोटिस	SPCB	

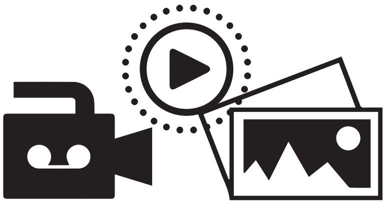

ख) फोटो और विडियो क्लिप

फोटो प्रमाण ज़मीनी स्थिति दर्शाने के लिए हमेशा उपयोगी रहते हैं। यह ज़रूरी है कि ली गई फोटो या विडियो बनाए जाने की तारीख और समय की जानकारी रिकार्ड में रखी जाए।

ग) अखबार की खबरें

यदि इस मामले को किसी अखबार में रिपोर्ट किया गया है, तो वह भी शिकायत को साबित करने में एक अतिरिक्त सबूत का काम कर सकता है। लेकिन, यह सुनिश्चित करना होगा कि रिपोर्ट असली है और उसे सबूत के रूप में उपयोग करने से पहले उसका सत्यापन कर लिया जाए।

2 शिकायत लिखना

शिकायत कब दर्ज की जा सकती है?

इन मामलों में शिकायत दर्ज की जा सकती है :

- जब कोई अनुमति न ली गई हो।
- जब दी गई शर्तों का उल्लंघन हुआ हो।
- ऊपर के खंड में दिए गए कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में।

शिकायत में क्या-क्या शामिल करना चाहिए?

- उल्लंघन किस प्रकार हुआ है।
- इस उल्लंघन के कारण आस–पास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
- इन्हें साबित करने वाले सबूत।
- क्या समाधान चाहते हैं।

शिकायत किसे भेजी जानी चाहिए?

CTO, CTE और जल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन	SPCB का क्षेत्रीय कार्यालय
	SPCB का मुख्य कार्यालय
पर्यावरणीय मंज़ूरी की शर्तों का उल्लंघन	MoEFCC क्षेत्रीय कार्यालय
	SEIAA
	DEIAA
सार्वजनिक उपद्रव	ज़िला कलेक्टर/ मैजिस्ट्रेट

प्रशासनिक समाधानों के कानूनी विकल्प क्या हैं?

स्थिति	क्या समाधान उपलब्ध है
बिना किसी सहमति के काम शुरु कर देना	SPCB द्वारा एक नोटिस जारी किया जा सकता है जिसमें काम के संदर्भ में कुछ शर्तें दी गई होंगी।
सहमति में दी गई शर्तों की अनुपालना न किया जाना	• SPCB द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। • SPCB द्वारा काम रोकने के आदेश जारी किए जा सकते हैं।
कारण बताओ नोटिस का जवाब न देना/ उसमें किए गए वादे को तोड़ना	• प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को बंद, निषेध या उसका विनियमन करना। • पानी, बिजली या इस प्रकार की अन्य सेवाएं बंद कर देना।
जल अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाना	इसके लिए कारावास की सज़ा और या/जुर्माना हो सकता है।
पर्यावरणीय मंजूरी में दी गई शर्तों की अनुपालना न होना	• इसके लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, कारावास की सज़ा और या/जुर्माना हो सकता है, जिसमें 5 साल तक की कैद, या रु.1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। • पर्यावरण मंजूरी की अनुपालना न किए जाने पर मंजूरी रद्द होना।
सार्वजनिक उपद्रव	ज़िला कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा।
आपातकालीन स्थिति (जब राज्य बोर्ड को ऐसा लगे कि किसी नदी, कुंए या ज़मीन पर कोई ज़हरीला, हानिकारक या दूषित करने वाला पदार्थ मौजूद है, जो कि बह के आया है या किसी दुर्घटना के कारण हुआ है या किसी अन्य अनपेक्षित गतिविधि या घटना के कारण, और अगर बोर्ड की राय में अति–आवश्यक है कि तुरंत कोई उपाय या समाधान निकाला जाए)	• पदार्थ को नदी, कुंए या ज़मीन से निकाल कर बाहर किया जा सकता है • इस पदार्थ के मौजूद होने के कारण हुए प्रदूषण का समाधान निकाला जा सकता है या उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। • इस पदार्थ को छोड़ने वाले व्यक्ति पर रोक लगाने या प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं।

सैन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में

सैन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सी.पी.आर) भारत में वर्ष 1973 से, सार्वजनिक नीतियों के विषय पर प्रबुद्ध विशेषज्ञों का समूह रहा है। यह एक गैर–मुनाफा, स्वतंत्र संस्था है जो भारत में जीवन को प्रभावित करने वाले ढांचों और प्रक्रियाओं पर सार्वजनिक चर्चा में योगदान के लिए अध्ययन करने के प्रति समर्पित है।

www.cprindia.ortg

नमति के बारे में

एक ऐसे विश्व में जहां करोड़ों लोगों को कानूनी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, नमति लोगों के हाथ में कानून सौंपने के प्रति समर्पित है। यह ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कानूनी पैरवीकारों का एक वैश्विक आंदोलन तैयार कर रहा है, जो स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर न्याय प्राप्त करने का काम करते हैं। यह पैरवीकार आगे बढ़कर संघर्ष कर रहे हैं, जिससे कि स्थानीय लोग अपनी ज़मीनें बचा सकें, ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच सकें, और उन निर्णयों में भागीदार बन सकें जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।

www.namati.org

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

NAMATI INNOVATIONS IN LEGAL EMPOWERMENT